भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1738

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024

एमएसएमई के समक्ष चुनौतियां

1738. **श्री के. सी. वेणुगोपाल:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वैश्विक बाजारों तक पहुंच की कमी, बिजली, पानी, सड़कों सहित अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर और आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी, विनिर्माण सेवाओं, विपणन के लिए कुशल जनशक्ति की कमी और श्रम कानूनों की बहुलता और ऐसे कानूनों के अनुपालन से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सरकार एमएसएमई के लिए एक केंद्रित और बहुआयामी कार्यनीति अपनाती है और अन्य उपायों के साथ-साथ एमएसएमई के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे तक पहुंच, प्रौद्योगिकी तक पहुंच, कुशल मानवबल और वैश्विक बाजारों तक पहुँच के साथ-साथ अनुपालन बोझ, आर्थिक विकास, वित्त पोषण तक पहुंच, पूंजीगत बुनियादी ढांचा आदि शामिल हैं:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई को अपने उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा विदेशों में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाने तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना लागू कर रहा है। इसके अलावा, प्रथम बार निर्यात करने वाले निर्यातकों (सीबीएफटीई) की क्षमता निर्माण के लिए, नए एमएसई निर्यातकों को निर्यात के लिए ईपीसी के साथ पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और निर्यात के लिए परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर होने वाली लागतों के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। एमएसएमई टीम (व्यापार सक्षमता और विपणन) नामक एक नई पहल को भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ एकीकृत करके एमएसएमई को समर्थन देने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र में निर्यात संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध सहायता प्रणाली विकसित की है, इसके लिए उसने अपने क्षेत्रीय संगठनों में एमएसएमई-विकास और सुविधा कार्यालय, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और एमएसएमई परीक्षण केंद्र जैसे 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं। आईईसी के सत्यापन और जारी करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय और डीजीएफटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत, सामान्य सुविधा केंन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 70% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के विकास के लिए, 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई के संवर्धन' के लिए एक विशेष योजना चल रही है, जो नए मिनी प्रौद्योगिकी केंन्द्रों की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंन्द्रों के आधुनिकीकरण और औद्योगिक संपदाओं के विकास सहित बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के निर्माण/उन्नयन के लिए कुल परियोजना लागत का 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से चलती हैं।

एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण एवं कौशल तथा व्यवसाय परामर्शी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा देश में प्रौद्योगिकी केन्द्रों/टूल रूमों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। वर्ष 1969 और 1999 के बीच 18 प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए गए। 15 अन्य प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। देश में इन प्रौद्योगिकी केंन्द्रों की भौगोलिक पहुंच में वृद्धि के लिए, एमएसएमई मंत्रालय देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में "नई प्रौद्योगिकी/विस्तार केन्द्रों की स्थापना" योजना के तहत 20 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ 100 विस्तार केन्द्रों की स्थापना कर रहा है। ये केन्द्र शिक्षित युवाओं और उद्योग के तकनीशियनों के लिए विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। इन केन्द्रों द्वारा विविध स्तरीय पाठ्यक्रम, जैसे प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं।

"एमएसएमई चैंपियंस" योजना के तीनों उप योजनाओं, एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेडईडी) प्रमाणन योजना, एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना और एमएसएमई-इनोवेटिव स्कीम (इन्क्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) का एक समग्र दृष्टिकोण है और इसके इंटरवेनशन का एकल उद्देश्य हमारे एमएसएमई को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाना है।

एमएसएमई निष्पादन में वृद्धि एवं तेजी (आरएएमपी) विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य केन्द्रीय एवं राज्य एजेंसियों को सशक्त बनाकर तकनीकी उन्नयन, बाजार और ऋण तक पहुंच में वृद्धि करते हुए देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करना है।

सरकार ने अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से कई श्रम कानूनों के सरलीकरण की दिशा में 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है।

एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण" की शुरुआत 1.7.2020 से की गई है। एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंडों के साथ व्यवसाय में सुगमता के लिए की गई है। उद्यम एक बाधारहित , स्व-घोषणा आधारित, डिजिटल और स्वैच्छिक पंजीकरण है। उद्यम पोर्टल पर कुल 5.53 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें दिनांक 30.11.2024 तक 23.30 करोड़ रोजगार उपलब्ध हैं।

*****